

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 684 / 2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 26.08.2011

फाइलिंग नंबर : 230303003902011

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—सोनू किरार पुत्र रामरतन किरार उम्र 27 वर्ष
 - 2—भारत पुत्र मंगाराम कुशवाह उम्र 27 वर्ष
 - 3—सुरेश कुशवाह पुत्र बटुरी कुशवाह उम्र 36 वर्ष
- निवासीगण ग्राम रिठौराकलां थाना रिठौरा जिला मुरैना
म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—457, 380 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी सोनू द्वारा अधिवक्ता—श्री बी0एस0यादव)

(आरोपी भारत, सुरेश द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक 04—08—2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 08—09.08.11 की दरमियानी रात्रि में फैक्ट्री पॉलीमर्स मालनपुर में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित करने एवं उसी समय उक्त फैक्ट्री से एक पानी की मोटर किलोस्कर कंपनी की कीमत करीबन पैंतीस हजार रुपये बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 457, 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी सत्यनारायण रेशम पॉलीमर फैक्ट्री मालनपुर की देखभाल करता था फैक्ट्री की सुरक्षा हेतु रघुवीरसिंह, श्यामवीर एवं रामलाल को लगाया गया था। दिनांक 08.08.11 की रात्रि में रघुवीरसिंह एवं श्यामवीर सुरक्षा गार्ड में लगे थे। दिनांक 09.08.11 को गनमैन रघुवीरसिंह ने फरियादी सत्यनारायण को बताया था कि फैक्ट्री से रात्रि में खिडकी तोड़कर कोई अज्ञात चोरी पानी की मोटर ले गया है तब उसने फैक्ट्री पर जाकर देखा था तो क्लोस्कर कंपनी की मोटर नहीं मिली थी मोटर की कीमत लगभग पैंतीस हजार रुपये होगी कोई अज्ञात चोर उसे चोरी करके ले गया था उसने उसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दे दी थी। मोटर को आसपास तलाश किया था परन्तु कोई पता नहीं चला था। फरियादी सत्यनारायण द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी मालनपुर को लेखीय आवेदन दिया गया था उक्त आवेदन के आधार पर थाना मालनपुर में अप0क्र0 131/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08-09.08.11 की दरमियानी रात्रि रेशम पॉलीमर फैक्ट्री मालनपुर से एक पानी की मोटर कीमत लगभग पैंतीस हजार रुपये की चोरी की ?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय एवं स्थान पर रेशम पॉलीमर फैक्ट्री मालनपुर में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सत्यनारायणसिंह परिहार अ0सा01, रघुवीरसिंह अ0सा02, श्यामवीर अ0सा03, देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04, पूरनसिंह अ0सा05, ए.एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06, आत्माराम शर्मा अ0सा07, एवं आरक्षक मनीष पचौरी अ0सा08 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सत्यनारायणसिंह परिहार अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह अनुपम बायोटेक कंपनी में नौकरी करता था वह वहां गार्ड के पद पर पदस्थ था। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले की रात्रि के समय की है। घटना वाले दिन वह अपनी ड्यूटी पर मालनपुर में था वह उस दिन गेट पर था आत्माराम टी.आई. एक गार्ड को लेकर थाने पर आये थे और उन्होंने उससे कहा था कि उन्होंने 3-4 चोर पकड़ लिए हैं जिन्होंने फैक्ट्री रेशम पॉलीमर में चोरी की है और उससे कहा था कि पहचान कर लो एवं कुशवाह जी सिक्थोरिटी डायरेक्टर को फोन कर दो थाने में चोरों से मोटर बरामद कर ली थी वह चोरों के नाम नहीं जानता था उसने सिक्थोरिटी डायरेक्टर कुशवाह जी को बताया था। पुलिस को दिया गया आवेदन प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह रेशम पॉलीमर फैक्ट्री में देखभाल का काम करता था एवं यह भी स्वीकार किया है कि रेशम पॉलीमर फैक्ट्री मालनपुर की सुरक्षा हेतु रघुवीरसिंह, श्यामवीर, रामलाल को लगाया गया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे गार्ड रघुवीर ने बताया था कि फैक्ट्री में रात को खिडकी से घुसकर पानी की मोटर की चोरी हो गयी है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने अपने लेखीय आवेदन में यह लिखाया था कि उसने फैक्ट्री पर जाकर देखा था तो किलोस्कर कंपनी की मोटर वहां नहीं थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने कंपनी के मालिक को चोरी के संबंध में सूचना भी दी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने किलोस्कर कंपनी की मोटर चोरी होने वाली बात प्र0पी-1 के आवेदन में लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि प्र0पी-1 का आवेदन दरोगजी के कहे अनुसार लिखा गया है। प्र0पी-2 की लिखापट्टी उसके सामने नहीं हुई थी उससे तो थाने पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मालनपुर स्थित रेशम पॉलीमर फैक्ट्री के देखभाल की ड्यूटी उसकी नहीं थी।

9. साक्षी श्यामवीर अ0सा03, देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10. साक्षी रघुवीरसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी भारत कुशवाह को नहीं जानता है एवं उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्र0पी-5 के जप्ती पंचनामा एवं प्र0पी-7 एवं 8 के गिरफ्तारी पंचनामा के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने थाने में उसके हस्ताक्षर करा लिए थे उसके सामने पुलिस ने सुरेश एवं सोनू को नहीं पकड़ा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भारत कुशवाह से पानी की मोटर जप्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया है।

11. साक्षी पूरनसिंह अ0सा05 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह फरियादी सत्यनारायण को नहीं जानता है फिर कहा उसे याद नहीं है। शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी-12 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने किस वस्तु की शिनाख्ती की गयी थी उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी-12 के ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं यह भी स्वीकार किया गया है कि शिनाख्ती पंचनामा उसके द्वारा दिया गया था। उसे याद नहीं है कि उसके सामने सत्यनारायण ने एक पानी की मोटर की पहचान की थी।

12. एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसे दिनांक 10.08.11 को उक्त अपराध विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था एवं विवेचना के दौरान उसने आरोपी भारत से प्र0पी-4 के वर्णानुसार पानी की मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी सुरेश से मोटरसाइकिल क्रमांक डी0एल0-05-एस.ए.जी.-4334 प्र0पी-5 के वर्णानुसार जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी भारत, सुरेश एवं सोनू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6, 7, 8 तैयार किए थे जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण से पूछताछ कर प्र0पी-13 का मैमोरेण्डम बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. आरक्षक मनीष पचौरी अ0सा08 द्वारा भी एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 के कथन का समर्थन किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6, 7 एवं 8 के क्रमशः सी से सी भाग पर, जप्ती पंचनामा प्र0पी-4 एवं 5 के क्रमशः सी से सी भाग पर तथा मैमोरेण्डम प्र0पी-13 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

14. एस.डी.ओ.पी. आत्माराम शर्मा अ0सा07 ने प्र0पी-14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सत्यनारायणसिंह परिहार अ0सा01 जिसके द्वारा

प्र0पी-1 का आवेदन थाने पर दिया गया है एवं प्र0पी-14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे पुलिस थाना मालनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा ने यह बताया था कि उन्होंने रेशम पॉलीमर फैक्ट्री में चोरी करने वाले 3-4 चोर पकड़ लिए हैं एवं थाने में चोरों से मोटर बरामद कर ली है। उसने उक्त संबंध में सिक्थोरिटी डायरेक्टर कुशवाह जी को बताया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसे रघुवीर ने फैक्ट्री में पानी की मोटर चोरी होने के संबंध में बताया था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने कंपनी किलोस्कर मोटर चोरी होने के संबंध में प्र0पी-1 का लेखीय आवेदन दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि फैक्ट्री की देखभाल की ड्यूटी उसकी नहीं थी उसके सामने मोटर चोरी नहीं हुई थी प्र0पी-1 का आवेदन उसने दरोगाजी के कहे अनुसार दिया था। इस प्रकार फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी को कंपनी से मोटर चोरी होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा प्र0पी-1 का आवेदन पुलिस को देने से भी इंकार किया गया है। यद्यपि साक्षी आत्माराम शर्मा अ0सा07 द्वारा यह बताया गया है कि उसने फरियादी सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत प्र0पी-1 के आवेदन के आधार पर प्र0पी-14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी परन्तु यह बात स्वयं फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 का कहना है कि उसने प्र0पी-1 का आवेदन पुलिस को नहीं लिखाया था उक्त आवेदन दरोगाजी के कहे अनुसार लिखा था। इस प्रकार फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 एवं आत्माराम शर्मा अ0सा07 के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं।

17. जहां तक श्यामवीर अ0सा03, एवं देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो श्यामवीर अ0सा03 एवं देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 ने भी घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. इस प्रकार प्रकरण में स्वयं फरियादी सत्यनारायणसिंह परिहार अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं रेशम पॉलीमर फैक्ट्री से किलोस्कर कंपनी की मोटर चोरी होने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त संबंध में प्र0पी-1 का आवेदन थाने पर दिया था। शेष साक्षी श्यामवीर अ0सा03 एवं देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 द्वारा भी घटना की जानकारी न होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक को रेशम पॉलीमर फैक्ट्री से किलोस्कर कंपनी की पानी की मोटर चोरी हुई थी।

19. जहां तक आरोपी भारत से पानी की मोटर जप्त होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को रेशम पॉलीमर फैक्ट्री से किलोस्कर कंपनी की पानी की मोटर

चोरी हुई थी। जहां तक एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 के कथन का प्रश्न है तो एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 ने दिनांक 10.08.11 को आरोपी भारत से प्र0पी-4 के वर्णानुसार पानी की मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार करना बताया है एवं यह भी बताया है कि उसने आरोपी सुरेश से मोटरसाइकिल जप्त कर प्र0पी-5 का जप्ती पंचनामा बनाया था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी भारत से किस स्थान पर, किस समय, किस कंपनी की पानी की मोटर जप्त की थी। उक्त साक्षी द्वारा जप्ती पंचनामा प्र0पी-4 के अनुसार आरोपी भारत से पानी की मोटर जप्त करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा जप्ती पंचनामा प्र0पी-4 की विशिष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया है। एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 ने आरोपी भारत, सुरेश, और सोनू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6,7,8 तैयार करना बताया गया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी भारत, सोनू, सुरेश को किस स्थान से, कितने समय गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी द्वारा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6,7,8 की विशिष्टियों को भी प्रमाणित नहीं किया गया है। एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 ने आरोपीगण से चोरी के संबंध में पूछताछ कर प्र0पी-13 का ज्ञापन तैयार करना बताया है परन्तु अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि प्र0पी-4 के जप्ती पंचनामे के अनुसार जप्ती की कार्यवाही दिनांक 10.08.11 समय 20:10 बजे की गयी है एवं प्र0पी-13 के अनुसार आरोपीगण से धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन दिनांक 10.08.11 को 21:30 बजे लिया गया है। इस प्रकार प्र0पी-13 का मैमोरेण्डम प्र0पी-4 की जप्ती के पश्चात लिया गया है। प्र0पी-13 के मैमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी-13 के मैमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है।

20. साक्षी मनीष पचौरी अ0सा08 जोकि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती पंचनामा प्र0पी-4 एवं प्र0पी-5, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6, 7, एवं 8 तथा मैमोरेण्डम प्र0पी-13 का साक्षी है, ने अपने कथन में दिनांक 10.08.11 को राकेश प्रसाद द्वारा उसके समक्ष आरोपी भारत से पानी की मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-4 बनाना तथा आरोपी सोनू, भारत एवं सुरेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना बताया है। परन्तु यह बात एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 द्वारा नहीं बतायी गयी है। एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 का ऐसा कहना नहीं है कि उसने मनीष पचौरी के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार किया था एवं आरोपीगण से जप्ती की थी ऐसी स्थिति में एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 एवं मनीष पचौरी अ0सा08 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

21. एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 ने अपने कथन में आरोपी भारत से पानी की मोटर जप्त करना बताया है परन्तु साक्षी रघुवीर अ0सा02 द्वारा राकेश प्रसाद अ0सा06 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भारत से किलोस्कर कंपनी की पानी की मोटर जप्त की थी। इस प्रकार एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 के कथन का समर्थन स्वतंत्र साक्षी रघुवीर अ0सा02 द्वारा नहीं किया गया है। यह

तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

22. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पूरनसिंह अ0सा05 द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही प्र0पी-12 का भी पूर्णतः समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह फरियादी सत्यनारायण को नहीं जानता है। उसे याद नहीं है कि सत्यनारायण ने उसके सामने पानी की किलोस्कर कंपनी की मोटर की पहचान की थी। फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 द्वारा भी उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं दिया गया है। फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि उसने पानी की मोटर की शिनाख्ती की थी। इस प्रकार प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी संदेहास्पद है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

23. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी सत्यनारायण अ0सा01, साक्षी रघुवीरसिंह अ0सा02, श्यामवीर अ0सा03, देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 एवं पूरनसिंह अ0सा05 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा06 द्वारा भी जप्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामे की विशिष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया है। स्वयं फरियादी सत्यनारायण अ0सा01 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उसके सामने कंपनी से पानी की मोटर चोरी हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा प्र0पी-1 का आवेदन पुलिस को लिखाने से भी इंकार किया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को रेशम पॉलीमर फैक्ट्री में पानी की मोटर की चोरी हुई थी। प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। शिनाख्ती कार्यवाही भी संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

24. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 08-09.08.11 की दरमियानी रात्रि में रेशम मिल पॉलीमर फैक्ट्री मालनपुर में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फैक्ट्री से किलोस्कर कंपनी की पानी की मोटर कीमत लगभग पैंतीस हजार रुपये बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सोनू किरार, भारत, एवं सुरेश कुशवाह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

26. आरोपी भारत एवं सुरेश पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

27. प्रकरण में आरोपी सोनू निरोध में है है अतः उसे स्वतंत्र किया जाये।

28. प्रकरण में जप्तशुदा किलोस्कर कंपनी की पानी की मोटर पूर्व से सुपुर्दगी

पर है अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे।
अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान — गोहद

दिनांक — 04.08.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)